

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 03.01.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्रम	आदेश में क्रम संख्या	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान निम्न के स्थान पर	विषय	जन्मदिनांक	आंशिक संशोधित	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86	MANGU RAM	GSSS (215959)/ KHETRI/ JHUNJHUNUN	History	01/07/1960	स्कूल का नाम GSSS (215959)/ KHETRI/ JHUNJHUNUN के स्थान पर GSSS (215959)/ KHARKADA DEVRAN KHETRI/JHUNJHUNUN	JHUNJHUNUN
2	326	BHANWAR SINGH RATHOUR	G S S S ASNAWAR- JHALAWAR	commerce	10/09/1960	नाम भंवर सिंह राठोर के स्थान पर भंवर सिंह राठौड़, जन्मदिनांक 01.10.1960 के स्थान पर जन्म दिनांक 10.09.1960 संशोधित	JHALAWAR
3	16	BAJRANG LAL CHAUDHARY	GSSS PALAI / NEWAI/ TONK	History	01/07/1960	नाम BAJRANG LAL CHAUDHARY के स्थान पर BAJRANG LAL CHAUDHARY संशोधित	TONK
4	136	RAMJAS SOMANI	GSSS (214493)/ SANGARI/ SHAHPURA/ BHILWARA	History	07/10/1960	स्कूल का नाम GSSS (214493)/ SHAHPURA/ BHILWARA के स्थान पर GSSS SANGARI (214493)/ SHAHPURA/ BHILWARA	BHILWARA
5	52	GOPAL LAL GOSWAMI	GSSS CHAKSU/ CHAKSU/JAIPUR	History	01/01/1961	जन्मदिनांक 21.07.1960 के स्थान पर जन्म दिनांक 01.01.1961 संशोधित तदनुसार सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2020	JAIPUR
6	4	AMARSINGH CHOUHAN	GSSS (213788)/ CHITALWANA/ JALOR	History	08/07/1960	नाम AMARSINGH के स्थान पर AMARSINGH CHOUHAN संशोधित	JALOR

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-16/06/2020

क्रमांक- शिविरा-माध्य / संस्था / सी-2 / सेनि / इति-वाणि / 31853 / 2020-21

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-


- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।

6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।

7 सम्बन्धित व्याख्याता

8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर